भाजपा के सदस्यता अभियान में कम सदस्य बनने से नाराज हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री

15 अक्टूबर तक सवा करोड़ सदस्य बनाने थे, जबकि अभी 23 लाख बने

- भाजपा में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, उनमें करें नेतृत्व के गुण विकसित : बीएल संतोष
- भाजपा आरक्षित वर्ग के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस मानती रही वोट बैंक : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा के प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान की पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए पूर्व योजनाओं और पूर्ण योजना के साथ कार्यकर्ता जुट जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्षों से आव्हान किया कि वे मंडल और बूथ स्तर पर प्रवास कार्यक्रम बनाए तथा वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करें। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष, अभियान से जुड़े प्रभारी, संयोजक और जिलों की टोली के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीएल संतोष ने प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे कारण पूछे। इस पर संयोजकों ने कहा कि इस समय खेती का समय चल रहा है, जिसके चलते सदस्यता कम रही है। बीएल संतोष ने कहा कि लोग खेती में व्यस्त हैं तो खेतों में जाकर सदस्य बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं यहां एक-एक व्यक्ति का रिकॉर्ड देखने आया हूं। किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कितने सदस्य बनाए।

हालांकि मीटिंग के दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने टारगेट से दोगुने सदस्य बनाए हैं। इसी तरीके से बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए। राजस्थान में अभी 23 लाख सदस्य ही बने हैं। जबकि प्रदेश में 15 अक्टूबर तक सवा करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है।

संतोष ने कहा कि अपने साथी कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के गुण विकसित करें, उनके नेता बनने से आपका कद स्वत: बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विचार आधारित पार्टी है, यहां कार्यकर्ता अपने कार्य के बल पर महत्वपूर्ण है। सदस्यता अभियान कार्यकर्ता निर्माण की दिशा में पहला कदम है, इसलिए इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए त्रि सूत्री मंत्र देते हुए कहा कि प्रतिदिन सदस्य बनाए, मंडल के हर बूथ पर सक्रियता बढ़ाए और सदस्यता अभियान में व्यक्तिगत रेफरल की संख्या बढाई जाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आरक्षित वर्ग के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य में बहुमत मिलने पर सदा उन वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाए गए है। जबकि कांग्रेस और अन्य दल उन्हें केवल वोट बैंक मानते है। पहले आरक्षण लागू करने में कौताही बरतने वाली कांग्रेस आज विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करती है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि वे कमजोर मन से नहीं, मजबूत मन के साथ संगठन के कार्य में जुटे, क्योंकि भाजपा की ताकत उसके कार्यकर्ता है। भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि अगले 18 दिनों में सदस्यता को गति देने के लिए 3 महा अभियान चलेंगे। इन सभी अभियानों में प्रदेश से बूथ तक के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि देशभर में सदस्यता को लेकर सकारात्मक रूझान सामने आया है। लोग भाजपा के साथ जुड़कर राष्ट्रीय विचार को राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती देने के लिए आगे आ रहे है।

सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉ अरूण चतुर्वेदी ने समीक्षा बैठक की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि सदस्यता अभियान का प्रथम चरण बुधवार को समाप्त हो गया है। अब 15 अक्टूबर तक अभियान का दूसरा चरण चलेगा। इसमें 29 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम, 5 और 6 अक्टूबर तथा 13 से 14 अक्टूबर को सदस्यता का महा अभियान चलाया जाएगा।

सैन्यकर्मी का कोर्ट मार्शल कर बर्खास्त करने का 22 साल पुराना आदेश रद्द

जयपुर। सशस्त्र सेना प्राधिकरण ने साथी के बैंक खाते से रुपए निकालने के मामले में सैन्यकर्मी का कोर्ट मार्शल कर बर्खास्त करने के 22 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अधिकरण ने उसे समान रैंक पर मानते हुए समस्त परिलाभ व पेंशन देने को कहा है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बर्खास्तगी आदेश से बाद की अवधि का उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। अधिकरण ने यह आदेश पूर्व सीएफएन चंद्रभान की याचिका पर दिए। अधिकरण ने कहा कि वास्तव में बैंक कर्मचारी ने अपने फायदे के लिए याचिकाकर्ता को फंसाया है और उसे सेवा से बर्खास्त कर उसके साथ घोर अन्याय किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने आदेश की कॉपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को उचित कार्रवाई के लिए भेजा है।

याचिका में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने अधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता 7011 ईएमई बटालियन जालंधर में सीएफएन के पद पर कार्यरत था। उस पर आरोप था कि उसने 4 दिसंबर, 2001 को एसबीआई बैंक की जालंधर कैंट शाखा में सीएफएन एसपी सिंह के खाते से उसके फर्जी साइन कर 35 हजार रुपए निकाल लिए। इस मामले में उस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई और 5 मार्च, 2002 को उसे तीन माह का सिविल कारावास देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसे रुपए की जरुरत थी और उसने बैंककर्मी जीपी सिंह को इस बारे में बताया था। इस पर जीपी सिंह ने उसे दस दिन के लिए यह राशि एक हजार रुपए ब्याज काटकर दी थी। इस दौरान बैंक के निकासी फॉर्म पर जीपी सिंह ने साइन किए थे। वहीं तय समय पर याचिकाकर्ता ने यह राशि लौटा दी भी थी। मामले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में घटना के मुख्य आरोपी जीपी सिंह को सरकारी गवाह बनाया गया और उसकी गवाही पर याचिकाकर्ता को दंडित किया गया। जबकि उसकी गवाही विश्वसनीय नहीं थी और उसने खुद को बचाने के लिए याचिकाकर्ता पर दोष मढ़ दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने कोर्ट मार्शल के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को समान रैंक का परिलाभ देने को कहा है।

हिंदू आध्यात्मिक व सेवा मेले का उद्घाटन

जयपुर। हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के उद्घाटन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे चिंता होती है कुछ लोग विदेश में देश को तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं। वे नासमझी से उत्साहित हैं। एक नैरेटिव चला रहे हैं। जब पड़ोस के देश में कुछ हुआ, तब के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतने हिस्सों में भी मत बंटो कि बाद में याद आए कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं बचा है।

चौथे हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में गुरुवार को उद्घाटन भाषण दे रहे थे। 5 दिन चलने वाले इस हिन्दू मेले में देशभर के संतों ने भाग लिया। इस दौरान साध्वी ऋतम्भरा ने कहा कि मुझे चित्तोड़ की धरती को प्रणाम करना है जहां देवियों ने लाशों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ अग्नि स्नान कर जौहर किया। जब वह लोग अपने प्राण को त्याग सकते हैं। तो हम भय और लालच के लिए अपना धर्म क्यों त्यागे। साध्वी ने कहा कि एक दो बेटियों की मां रात को चैन से नहीं सो पाती है। लेकिन मैं संन्यासी होने के बाद हजारों बेटियों की मां हूं। उन्हें पढ़ने से लेकर शादी तक करने की जिम्मेदारी मेरी है।

सरकारी अस्पतालों में बदलेगा समय

जयपुर। जयपुर के एसएमएस समेत दूसरे अस्पतालों में का समय बदलेगा। शीतकालीन व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से समय बदलेगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होगी। सामान्य दिनों में दोपहर 3 बजे तक चलेगी।

जिसको लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने आदेश जारी किए। रजिस्ट्रेशन का काम सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन दो घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी चलेगी।

कैथल में दिया कुमारी ने भाजपा के लिए मांगे वोट

कैथल/अंबाला। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज हरियाणा के कैथल में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। दिया कुमारी ने अपने दो दिवसीय चुनावी दौरे के शुरुआत में कैथल के जिला सैनी भवन में भाजपा उम्मीदवार लीलाराम के पक्ष में एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया और फिर पाडला में राजपूत समाज के लोगो से मुलाक़ात की। दोपहर में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाना से भाजपा उम्मीदवार संतोष सारवान के पक्ष में वोट माँगे। इसके बाद दिया कुमारी ने अंबाला शहर के क्षित्रय समाज के प्रबुधजन से जनसंपर्क किया और भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया।

कैथल में महिला शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार लीला राम को जीत की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आधी आबादी रखने वाले महिला वर्ग के उत्थान व सम्मान के लिए अनेको ऐतिहासिक कार्य किये। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रसवकालीन अवकाश, सेना में अवसर, लखपति दीदी, आंगनबाड़ी अपग्रेडेशन जैसे कई निर्णय केन्द्र सरकार ने किये। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी फ्लैगशिप योजनाओं को सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी राहुल गांधी द्वारा विदेश में जा कर समाज को बांटने के लिए गलत बयानबाजी की गई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेलों में बन्द है या जमानत पर है।

उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की और कहा कि हरियाणा में विकास का क्रम आगे भी चलता रहे इसके लिए तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी चाहिए। मुलाना में भाजपा उम्मीदवार संतोष सारवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसानों, सैनिको, महिलाओं और युवाओ के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ने से ही सही मायने में विकास संभव है।

अंबाला शहर से भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल के पक्ष में क्षत्रिय समाज के प्रबुद्धजन सभा को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व देश की सीमाएँ सुरक्षित हुई है और सेना सशक्त हुई है।

दो आई.ए.एस. सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारी को सेवा से हटाने के मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव टी रविकांत और नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1996 में नगर निगम की विद्युत विंग में हेल्पर कम स्टोर कीपर के पद पर लगा था। इसके बाद से वह लगातार इस पद पर काम कर रहा था। इस बीच वर्ष 2014 में उसे सेवा से हटा दिया गया।

भगवा रैली 29 को

जयपुर। महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने और आमजन में हिंदू राष्ट्र के लिए जनजागृति पैदा करने के उद्देश्य से रविवार को भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। युवा शक्ति मंच की ओर से आयोजित इस रैली का नेतृत्व राज्य के सभी प्रमुख संत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए युवा शक्ति मंच राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह शेखावत ने गुरूवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से यह रैली खोले के हनुमान मंदिर से शुरू होकर न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान तक निकाली जाएगी।

उन्होंने बताया कि रैली में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, मुख्यमंत्री के पुत्र व युवा भाजपा नेता कुणाल शर्मा, विधायक बालमुकुन्दाचार्य, गोपाल शर्मा, महेन्द्र मीणा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी रहे चन्द्रमनोहर बटवाडा व रवि नैय्यर शामिल होंगे।

बिना आदेश वसूली रद्द की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लघु उद्योग इकाई को गलत तरीके से जारी अनुदान को वापस लेने के लिए बिना आदेश की जा रही वसूली की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पुन: जिला उद्योग केन्द्र के जीएम को भेजते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।

जस्टिस अवनीश झिंगन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडिया इमेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह सुस्थापित कानून है कि अर्ध न्यायिक अधिकारी को तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होता है, लेकिन मामले में अनुदान वापस लेने का कोई आदेश पारित किए बिना ही वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई।

याचिका में अधिवक्ता जय शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1990 में अनुदान के लिए आवेदन किया था। जिला स्तरीय कमेटी ने 29 सितंबर, 1997 को 10.83 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत कर दी और बाद में याचिकाकर्ता को इस राशि का अनुदान मिल गया।

याचिका में बताया गया कि 11 मार्च, 1999 को जिला उद्योग केन्द्र के जीएम ने याचिकाकर्ता को पत्र भेजकर कहा कि उसे अनुदान राशि गलत जारी हो गई है और वह ब्याज सहित राशि लौटाए। इस पत्र का याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दे दिया गया। वहीं वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता को फिर से पत्र भेजकर कहा गया कि वह तीन माह में राशि लौटाए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना यह कि मेरे अभिभाष्य राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीनारायण मीणा पता - ग्राम श्रीराम की नांगल वाटिका सांगानेर जयपुर मो0- 9784234507 की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य के साथ मन्नालाल उर्फ लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री गिरधारीलाल मीणा व अन्य पता - ग्राम श्रीराम की नांगल वाटिका सांगानेर जयपुर के द्वारा दिनांक 31.08.2024 को जबरन नाथूलाल जांगिड व अन्य के साथ मिलकर जान से मारने का भय दिखाकर जबरन डायरी के खाली पन्नो पर पकड़कर हस्ताक्षर करवा लिये और मेरे अभिभाष्य को धमकी दी कि इन कागजो पर तेरा खाता लिखेंगें और तुझसे जबरन पैसे वसूल करके रहेगें उक्त के संबंध में मेरे अभिभाष्य के द्वारा मन्नालाल उर्फ लक्ष्मीनारायण व अन्य के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में अमल में लाई हुई है जो भी कोई व्यक्ति कोई संस्था, स्वयं मन्नालाल उर्फ लक्ष्मीनारायण, उसका हितैषी, कर्मचारी, एजेन्ट, सर्वेन्ट उकठायी के खाली पन्नो पर मनमर्जी की इबारत लेखदेव/विक्रय बाबत लिखता है और लिखकर उसका दुरुपयोग करता है जिससे मेरे अभिभाष्य को सदोष हानि कारित होती हो तो, उसके विरूद्ध होने वाली आपराधिक/सिविल कार्यवाही के लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा इसमे मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी सूचित रहे। **रोहित कुमावत एडवोकेट 7014995861**

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम मोहिनी से बदलकर कुसुम करमवानी रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे कुसुम करमवानी नाम से जाना जावे। 86, शिवविहार-C, मान्यावास मानसरोवर जयपुर राजस्थान- 302020

मै आर्मी नंबर 15209198 एफ हवलदार (ड्राइवर स्पेशल) अनिल कुमार सिंह, यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम "रेखा है जो कि गलत है। मेरी पत्नी का वास्तविक नाम रेखा देवी है।

में आर्मी नं 2704307F HAV SHATRUGHAN SINGH of UNIT 24 GRENADIERS मेरे सैन्य दस्तावेज में मेरी माता का नाम USHA SINGH है जो कि गलत है मेरी माता का सही नाम USHA है।

मैंने अपना नाम किरण कंवर मनोहर से बदलकर किरण कंवर पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राठौड रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी ए-128, ग्राउण्ड फ्लोर, दादू दयाल नगर, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपना नाम दामोदर प्रसाद अग्रवाल से बदलकर दामोदर बंसल रख लिया है भविष्य में मुझे मेरे नए नाम दामोदर बंसल पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जी बंसल के नाम से जाना पहचाना जाये निवासी S-13, RIICO शॉपिंग सेंटर रोड न.14, वीकेआई जयपुर

I have changed my name from braj mohan soni to brij mohan soni r/o p no 232 j officers campus ext sirsi road Jaipur.

I have changed my name from Ranu Gutpa D/o Hari Mohan Gupta to Pallavi Gupta W/o Sidharth Gupta R/o 2/211, Sector-2, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039. For all purpose.

खोया पाया

मकान संख्या 50/379 प्रताप नगर का मूल आवंटन पत्र का क्रमांक नम्बर 200 दिनांक 13/5/1996 हल्दीघाटी मार्ग पर गिर/ गुम गया है मिलने पर सूचित करें पवन कंवर 8742050266

मेरे भूखंड संख्या 233 ग्राम कलवाड़ा जयपुर का मूल आरक्षण पत्र और आवंटन पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करेनाम कमला शर्मा, मोबाइल नंबर 9413070077

मेरा 1976 में जारी राजस्थान फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल सर्टिफिकेट नं. 3680 कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें- राम मनोहर रावत 8769429299

प्लॉट नंबर A-10 दादा गुरुदेव नगर स्टेशन रोड सांगानेर का जेडीए का पत्ता जो की खसरा नंबर 412 से 416 तक है जिसकी तहसील सांगानेर है वह 15 नवंबर 2024 को सांगानेर बाजार में फोटोकॉपी कराने के लिए ले जाने के दौरान गिर गया

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक-4

न्यायालय श्रीमान ADJ No.1 साहब स्थान हिण्डौन सिटी निकीता विरूद्ध विष्णु वाद/प्रार्थना पत्र CM 13HMA प्रार्थना-पत्र संख्या 106/2023 सन् नाम विष्णु पुत्र निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी कांवर पहाडी तह. महवा PS महवा जिला दौसा राज. उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.07 माह 10 सन 2024 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 5 माह 9 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। (मुहर)

शरिस्तेदार ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.-1, हिण्डौन सिटी (करौली)

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट जयपुर पिन कोड 302003
क्रमांक-F-52/DC/KPZ/2024/3406 दिनांक-27/9/2024

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व नवल किशोर शर्मा ने प्लाट नं. 962, तीसरा चौराहा मिश्र राजा जी का रास्ता जयपुर का 69-क, के तहत आवेदन पत्र के साथ अपंजीकृत वसीयतनामा एवं संबंधित दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं के क्षेत्रफल 61.58 वर्गमीटर का 69-क के तहत पट्टा चाहा है। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी व्यक्ति सरकारी / गैर सरकारी संस्था या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।

उपायुक्त किशनपोल जोन
नगर निगम जयपुर (हैरिटेज)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राधेश्याम चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन मोहन चतुर्वेदी निवासी - तबेला रोड़, मोती कुंआ स्कूल के पास, झालावाड़ (राज.) का है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र महेश चतुर्वेदी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र की मृत्यु के पश्चात मेरे अभिभाष्य के पुत्र महेश चतुर्वेदी की पत्नि श्रीमती सुमन चतुर्वेदी व उसकी दो पुत्रियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी एवं मेरे अभिभाष्य के अन्य परिजनों के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो गया है, जिसमें मेरे अभिभाष्य की पुत्रवधु सुमन चतुर्वेदी व पोतियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी ने उनके हिस्से में पारिवारिक बंटवारे में आने वाली चल अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है, अब भविष्य में मेरे अभिभाष्य की पुत्रवधु व पोतियों का मेरे अभिभाष्य एवं मेरे अभिभाष्य के अन्य परिजनों / वारिसानों की चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। अब भविष्य में मेरे अभिभाष्य का व उसके पारिवारिक सदस्यों का श्रीमती सुमन चतुर्वेदी व उसकी पुत्रियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी से कोई सम्बन्ध व रिश्ता नहीं रहा है। अब यदि उक्त तीनों किसी से कोई विवाद करते है या सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों में ऋण आदि प्राप्त करते है तो इससे मेरे अभिभाष्य एवं उसके परिवारजनों का कोई लेना देना नहीं होगा और भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि उक्त तीनों से कोई संव्यवहार करते है तो इसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, सूचित रहे। **प्रशांत चतुर्वेदी एडवोकेट, 9828023808**

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर)
क्रमांक-एफ-55()वि.जोन/ज.न.नि./2024/1864 दिनांक-26/9/24

सार्वजनिक सूचना

भूखंड सं. 39, स्कीम नं.4, शिवपुरी झोटवाड़ा (सिन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सुनीता सिंह पत्नी श्री गौतम सिंह ½ हिस्सा एवं नीतू सिंह पत्नी श्री नवीन सिंह ½ हिस्सा कुल क्षेत्रफल 213.12 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था । मूल आवंटी द्वारा रजि. विक्रय पत्र द्वारा अन्य को बेचान करते हुए आवेदकों ने भूखंड रजि. विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है । आवेदक श्रीमती मोना गर्ग पत्नी श्री वेनीगोपाल गर्ग एवं वेनीगोपाल गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द गर्ग ने जरिये रजि. विक्रय पत्र द्वारा क्षेत्रफल 213.12 वर्गगज भूखंड का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में चाहा गया है। उक्त भूखंड के नाम हस्तांतरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें । अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी ।

उपायुक्त, विद्याधर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जि. जयपुर
अब्दुल वहीद बनाम मु. गुलाब वगैरह
प्रार्थना पत्र 22/202-3
प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन

बनाम:-1. अब्दुल करीम पुत्र मकबूल खां निवासी मोहल्ला बरडोटी सांभरलेक हाल आवाद झोटवाडा जिला जयपुर 2-मो0 रमजान पुत्र मकबूल खां 3-दीन मोहम्मद पुत्र मो0 इब्राहिम, 4-मुन्नी पुत्री स्व0 मो0 इब्राहिम 5-मुस्तकीम खां पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम 6-अब्दुल सत्तार पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम, समस्त जाति मुसलमान निवासी 172-173 भट्टा वस्ती शास्त्रीनगर जयपुर। 7-मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व0 मोहम्मद इब्राहिम 8-परवीना पुत्री स्व0 मोहम्मद इब्राहिम, 9-जुल्फिकार अली पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम 10-रूबीना पुत्री स्व0 मो0 इब्राहिम 11-नियाज हुसैन पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम 12-हैदर अली पुत्र स्व0 मोहम्मद इब्राहिम 13-इस्लामुद्दीन उर्फ बाबू पुत्र स्व0 मो0 इब्राहिम, समस्त जाति मुसलमान निवासीवान वरडोटी मोहल्ला सांभरलेक जिला जयपुर राज0 14-अब्दुल हमीद पुत्र श्री अमीर खां निवासी सांभरलेक जिला जयपुर राज.

उक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 10/10/2025 को 10.00 बजे ए0एम0 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो । यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश को सुनवायी और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

अतः आज दि. 24/9/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी, साँभर लेक

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक-4

न्यायालय श्रीमान ADJ No.1 साहब स्थान हिण्डौन सिटी श्रीमति नीरज विरूद्ध गौरव वाद/प्रार्थना पत्र CM38/ 13HMA प्रार्थना-पत्र संख्या 99/2024 सन् नाम गौरव पुत्र निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता ग्राम-कांवर पहाडी तह. महुवा थाना महुवा जिला दौसा राज. उक्त प्रार्थिया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.07 माह 10 सन 2024 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 5 माह 9 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। (मुहर)

शरिस्तेदार ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.-1, हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा
नोटिस
प्रकरण सं. 323/2023 तहत धारा 135 (2)
उनवान
कमलेश पुत्र भागचन्द जाति कुम्हार निवासी डूंगरीकलां
बनाम
सरकार

हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मृतक खातेदार गोपाल पुत्र श्योराम जाति कुम्हार निवासी डूंगरीकलां ने एक रजि0 वसीयत दिनांक 09.11.2015 को वादी कमलेश पुत्र भागचन्द जाति कुम्हार निवासी डूंगरीकलां के हक में करवाई थी। वसीयत दिनांक 05.05.2022 को फौत हो जाने से उक्त वसीयत के आधार पर वादी वसीयतग्रहिता ने स्वयं के हक में नामा0 खोले जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजि. किया गया। बादी के मुताबिक वसीयतकर्ता की यह वसीयत ही अंतिम वसीयत है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में यदि कोई भी व्यक्ति आक्षेप रखना हो तो समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। बाद मियाद गुजर जाने पर कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी। वसीयत के सबंध में कोई आक्षेप रखता हो तो मय साक्ष्य सबूत के नियत अवधि में उपस्थित होवे। कोई आक्षेप प्राप्त नही होने की सूरत में उनत वसीयत को निर्विवाद मानते हुये वसीयत अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। नोटिस आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा

न्यायालय-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-2 हिण्डौन सिटी
कैलाशचन्द बनाम हरखासआम आदि
प्रार्थना-पत्र बाबवत जारी किये जाने
उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र

यह कि सायल ने माननीय न्यायालय हाजा में विपक्षीगण के विरूद्ध मृतक कौशल्या देवी की विपक्षी नम्बर 06 व 07 के यहां से 240 शेयर क्रमांक 8061387474 से लेकर 8061387713 तक मुताबिक सर्टिफिकेट नम्बर 006316187 तथा विपक्षी नम्बर 07